मध्य प्रदेश के खान मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना

5335. **श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के खान मजदूरों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार का विचार सामूहिक बीमा योजना लागू करने और इन मजदूरों को ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत लाने का है;

(ग) क्या सरकार खान मजदूरों की खान दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने पर उनके निकट संबंधियों को तथा इन दुर्घटनाओं में घायल हुए मजदूरों को कोई मुआवजा देती है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सहित अन्य सभी राज्यों में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रमिक, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिकों तथा अभ्रक खान श्रमिकों को कल्याण के लिए प्रारूपित की गई कल्याण योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) ।

(ख) फिलहाल, समूह बीमा योजना को कार्यान्वित करने तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत उन्हें लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क और चूना-पत्थर और डोलोमाइट खानों में कार्यरत खान श्रमिकों के लिए घातक और गम्भीर दुर्घटना प्रसुविधा योजना के अंतर्गत कल्याण निधियों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रसुविधाएं स्वीकार्य हैं:–

(1) 500/- रु. की एक मुश्त राशि।

(2) विधवा को पांच वर्ष की अवधि के लिए 150/- रु. प्रति माह।

(3) विधवा के अलावा अन्य आश्रितों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 100/- रु. प्रति माह

(4) स्कूल जाने वाले प्रत्येक बालक को छात्रवृत्ति के रूप में 30/- रु. प्रति माह।

ऐसी रोजगार सम्बद्ध चोटें जिनमें मृत्यु/अपंगता हो जाती है, के लिए खान श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की अदायगी नियोजक द्वारा की जाती है। चूंकि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों का संचालन सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है । अत: वर्ष 1992-93 के दौरान अदा की गई मुआवजे की राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

खान श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

(क) स्वास्थ्य

1. टी. बी. अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण।
2. कैंसर से पीड़ित खान श्रमिकों के उपचार की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।
3. मानसिक बीमारियों के पीड़ित श्रमिकों का उपचार ।

4. वस्त्र की खरीद के लिए आर्थिक सहायता का अनुदान।
5. खान श्रमिकों के लिए कुष्ठ राहत।
6. टी. बी. के रोगियों को घर पर रह कर उपचार।
7. हृदय रोग से पीड़ित खान श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी योजना।
8. मुर्दा प्रत्यारोपण आदि से पीड़ित खान श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
9. खान श्रमिकों के लिए कृतिम अंगों से सम्बन्धित योजना।
10. खानों में कार्यरत खान श्रमिकों के लिए घातक तथा गंभीर प्रकृति की दुर्घटनाओं के लिए योजना।
11. एम्बुलैंस वैन की खरीद के लिए लौह अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबन्धन के लिए सहायता अनुदान।

(ख) आवास

1. अपना घर स्वयं बनाओ योजना।
2. समूह आवासीय योजना।
3. टाईप-1 आवासीय योजना।
4. टाईप-2 आवासीय योजना ।

(ग) शिक्षा

1. खान श्रमिकों के स्कूल अथवा कालेज जाने वाले बालकों को छात्रवृत्ति का अनुदान।
2. एक सैट ड्रेस की खरीद के लिए सहायता।
3. स्लेटों/पाठ् पुस्तकों की खरीद के लिए सहायता।
4. स्कूल बस के लिए अनुदान।
5. पुस्तकालय और पठन कक्ष का गठन।
6. पुस्तकालयों के लिए अनुदान।
7. स्कूलों को फर्नीचर तथा उपकरण की खरीद के लिए अनुदान।
8. मध्यावकाश का भोजन।
9. आवास सुविधाओं सहित होस्टल।

(घ) मनोरंजन

1. सामाजिक / सांस्कृतिक / खेल-कूद सम्बन्धी क्रियाकलाप ।
2. श्रमिकों के आवागमन के लिए बसें।
3. श्रव्य श्रव्य सैटों/सिनेमा वैनों/फिल्म प्रदर्शिनियों की व्यवस्था।
4. भ्रमण एवं अध्ययन दौरे।
5. टी. वी. सैटों की आपूर्ति।
6. बहु उद्देश्यीय संस्थानों/विकसित बहुउद्देश्यीय संस्थानों की स्थापना ।
7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना।
8. एम. पी. आई./डी. एम. पी. आई. कल्याण केन्द्रों को अनुदान।
9. खेल-कूद के मैदान।
10. हालिडे होम्स।

(ङ) जल आपूर्ति

1. कुएं की खोदाई ।
2. छोटे खान मालिकों को सहायता।
3. बड़ी खानों को जल आपूर्ति योजना।

देश में बेरोजगार व्यक्ति

5336. **श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में वहां की कुल जनसंख्या के मुकाबले बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत कितना-कितना है;